कार्यालयः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं0–सेवा–2/अराज./ 77 /2020–2021 दिनांक 20 मई, 2020

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के पत्र सं0 230/74/02/डी0पी0सी0(मा0शि0)/सेवा–1/2018–19 के द्वारा प्राप्त चयन संस्तुति के उपरान्त शासन के पत्र संख्या 331/XXIV-B-1/2020–17(01)/2015 दिनांक 13 मई, 2020 के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के निम्नांकित सहायक अध्यापिका एल0टी0 वेतनक्रम को प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में **प्रवक्ता हिन्दी (महिला शाखा)** के पद पर मौलिक पदोन्नति प्रदान की जाती है।

क0सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	विद्यालय/संस्था का नाम
01	02	03
1	श्रीमती रामप्यारी तिवारी	रा0क0इ0का0 ज्वालापुर, हरिद्वार
2	श्रीमती शशि जोशी	रा0क0इ0का0 भीमताल नैनीताल
3	श्रीमती रेखा बिष्ट	रा0क0इ0का0 ज्वालापुर, हरिद्वार
4	कु0 हेमलता वर्मा	रा0क0इ0का0 एन0टी0डी0 अल्मोड़ा
5	श्रीमती सुमनलता रावत	रा0क0इ0का0 कोटद्वार पौड़ी
6	श्रीमती दया बिष्ट	रा0क0इ0का0 सोमेश्वर अल्मोड़ा
7	श्रीमती हेमा काण्डपाल	रा0क0इ0का0 हल्द्वानी नैनीताल
8	श्रीमती अल्का बिजल्वाण	रा0क0उ0मा0वि0 हाथी बड़कला देहरादून
9	प्रेमा जोशी	रा0क0इ0का0 रामनगर नैनीताल
10	निर्मला लापड	रा0क0इ0का0ताडीखेत अल्मोडा
11	श्रीमती दया पन्त	रा0क0इ0का0 नैनीताल नैनीताल
दिव्यांग श्रेणी		
1	श्रीमती कमला पन्त	रा0क0उ0मा0वि0 सोमेश्वर अल्मोड़ा

2. उपरोक्त पदोन्नति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी–

(1) कोविड–19 महामारी के फलस्वरूप लॉकडाउन के दृष्टिगत उपरोक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं को अग्रिम आदेशों तक प्रवक्ता पद वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) पर पदस्थापना की प्रत्याशा में वर्तमान तैनाती वाले विद्यालय/संस्था में ही अनन्तिम (Provisional) रूप से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है, यह अनुमति राज्य में प्रवक्ता संवर्ग में विभिन्न राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित विषय में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर भविष्य में की जाने वाली पदस्थापना के सापेक्ष दी जा रही है।

(2) उक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं की प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में पदस्थापना आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, उक्त पदस्थापना के फलस्वरूप तैनाती वाले विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षिकाओं के संबंध में यह समझा जायेगा कि उन्हें पदोन्नति स्वीकार नहीं है तथा उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(3) पदोन्नति पर पृथक से पदस्थापना आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रवक्ता पद पर पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षिकाओं को ही नवीन पदस्थापना वाले विद्यालय, जिसमें संबंधित विषय में प्रवक्ता वेतनमान का पद रिक्त हो, से पदस्थापना आदेश से पूर्व वाले विद्यालय में अनन्तिम रूप से पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता पद का वेतनमान देय होगा। यह प्रतिबन्ध ऐसे शिक्षिकाओं, जो किसी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में संबंधित विषय में प्रवक्ता के रिक्त पद के प्रति तदर्थ रूप से कार्यरत हों, पर लागू नहीं होगा।

20/5/2020

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0 सं0 सेवा–2/अराज0/1647-60/2020–2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
(3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
(4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
(5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
(7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
(8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड ।
(9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
(10) सम्बन्धित प्रधानाचार्या को इस आशय से कि यदि संबंधित शिक्षिका के कार्यरत विद्यालय में स्थानान्तरण एवं अन्य कारणों से कोई परिवर्तन हुआ हो, तो संबंधित शिक्षिका का वर्तमान कार्यरत विद्यालय वही समझा जाय, जहां पर वह वास्तविक रूप से कार्यरत है, तद्नुसार उन्हें कार्यभार ग्रहण कराते हुए विद्यालय परिवर्तन की सूचना से निदेशालय को भी अवगत करायें।
(11) संबंधित शिक्षिका।
(12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

20/5/2020

(हरेराम यादव)
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

कार्यालयः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं0–सेवा–2/अराज./ 70 /2020–2021 दिनांक 20 मई, 2020

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के पत्र सं0 230/74/02/डी0पी0सी0(मा0शि0)/सेवा–1/2018–19 के द्वारा प्राप्त चयन संस्तुति के उपरान्त शासन के पत्र संख्या 331/XXIV-B-1/2020–17(01)/2015 दिनांक 13 मई, 2020 के द्वारा दिये गये निर्देश के कम में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के निम्नांकित सहायक अध्यापिका एल0टी0 वेतनकम को प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में **प्रवक्ता अंग्रेजी (महिला शाखा)** के पद पर मौलिक पदोन्नति प्रदान की जाती है।

क0सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	विद्यालय/संस्था का नाम
01	02	03
1	श्रीमती विद्या शर्मा	रा0क0इ0का0 कारगी देहरादून
2	श्रीमती ममता परमार	रा0क0इ0का0 चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी
3	श्रीमती रश्मि जोशी	रा0बा0इ0का0 थत्यूड़ टिहरी
4	श्रीमती रजनी पाण्डे	रा0क0इ0का0 बाडेछीना, अल्मोडा
5	श्रीमती कमला देवी जोशी	रा0क0इ0का0 किसनपुर नैनीताल
6	सविता सक्सेना	रा0क0इ0का0 सितारगंज, उ0सि0न0
7	श्रीमती प्रीति पाण्डे	रा0क0इ0का0 जसपुर उ0सि0न0
8	श्रीमती मीना कुमारी	रा0बा0इ0का0 खटीमा उ0सि0नगर
9	श्रीमती संहिता उनियाल	रा0क0इ0का0 रानीपोखरी देहरादून
10	नीता सहगल	रा0क0इ0का0 किच्छा, उधमसिंह नगर
11	सबीहा तवस्सुम	रा0बा0इ0का0 भीमताल नैनीताल
12	हेमा आर्या	रा.क.उ.मा.वि पिपल पोखरा नैनीताल
13	कविता सिंह रूहेला	रा0क0इ0का0 राजपुर रोड देहरादून
14	श्रीमती अमृता सक्सेना	रा0क0इ0का0 हरिपुर कालसी देहरादून
15	कु. मंजु रावत	रा0क0इ0का0 किलकिलेश्वर टिहरी
दिव्यांग श्रेणी		
1	श्रीमती संगीता अनूप देवराड़ी	रा0क0इ0का0 गणाई गंगोली पिथौरागढ़

2. उपरोक्त पदोन्नति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी–

(1) कोविड–19 महामारी के फलस्वरूप लॉकडाउन के दृष्टिगत उपरोक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं को अग्रिम आदेशों तक प्रवक्ता पद वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) पर पदस्थापना की प्रत्याशा में वर्तमान तैनाती वाले विद्यालय/संस्था में ही अनन्तिम (Provisional) रूप से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है, यह अनुमति राज्य में प्रवक्ता संवर्ग में विभिन्न राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित विषय में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर भविष्य में की जाने वाली पदस्थापना के सापेक्ष दी जा रही है।

(2) उक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं की प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में पदस्थापना आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, उक्त पदस्थापना के फलस्वरूप तैनाती वाले विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षिकाओं के संबंध

में यह समझा जायेगा कि उन्हें पदोन्नति स्वीकार नहीं है तथा उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(3) पदोन्नति पर पृथक से पदस्थापना आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रवक्ता पद पर पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षिकाओं को ही नवीन पदस्थापना वाले विद्यालय, जिसमें संबंधित विषय में प्रवक्ता वेतनमान का पद रिक्त हो, से पदस्थापना आदेश से पूर्व वाले विद्यालय में अनन्तिम रूप से पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता पद का वेतनमान देय होगा। यह प्रतिबन्ध ऐसे शिक्षिकाओं, जो किसी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में संबंधित विषय में प्रवक्ता के रिक्त पद के प्रति तदर्थ रूप से कार्यरत हों, पर लागू नहीं होगा।

20/5/2020

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0 सं0 सेवा–2/अराज0/ 1661-74 /2020–2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
(3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
(4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
(5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
(7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
(8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड ।
(9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
(10) सम्बन्धित प्रधानाचार्या को इस आशय से कि यदि संबंधित शिक्षिका के कार्यरत विद्यालय में स्थानान्तरण एवं अन्य कारणों से कोई परिवर्तन हुआ हो, तो संबंधित शिक्षिका का वर्तमान कार्यरत विद्यालय वही समझा जाय, जहां पर वह वास्तविक रूप से कार्यरत है, तद्नुसार उन्हें कार्यभार ग्रहण कराते हुए विद्यालय परिवर्तन की सूचना से निदेशालय को भी अवगत करायें।
(11) संबंधित शिक्षिका।
(12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

20/5/2020

(हरेराम यादव)
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

कार्यालयः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं0–सेवा–2/अराज./ 79 /2020–2021 दिनांक 20 मई, 2020

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के पत्र सं0 230/74/02/डी0पी0सी0(मा0शि0)/सेवा–1/2018–19 के द्वारा प्राप्त चयन संस्तुति के उपरान्त शासन के पत्र संख्या 331/XXIV-B-1/2020–17(01)/2015 दिनांक 13 मई, 2020 के द्वारा दिये गये निर्देश के कम में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के निम्नांकित सहायक अध्यापिका एल0टी0 वेतनकम को प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में **प्रवक्ता संस्कृत (महिला शाखा)** के पद पर मौलिक पदोन्नति प्रदान की जाती है।

क0सं0	शिक्षिका का नाम	विद्यालय/संस्था का नाम
01	02	03
1	श्रीमती लता गुसांई	रा0क0इ0का0 रानीपोखरी देहरादून
2	श्रीमती दया बिष्ट	रा0क0इ0का0 सोमेश्वर, अल्मोड़ा
3	श्रीमती शोभा देवी	रा.क.इ.का. फाजलपुर महरौली उ0सि0नगर
4	डा0 प्रभा जोशी	रा0क0इ0का0 खुर्पाताल नैनीताल
5	श्रीमती विमला डबराल	रा0क0इ0का0 चम्बा टिहरी
6	कु0 लक्ष्मी चमोली	रा0इ0का0 श्यामपुर हरिद्वार
7	श्रीमती लता भटट	रा0क0इ0का0 गोपेश्वर,चमोली
8	श्रीमती सरिता सयाना	रा0क0उ0मा0 वि0 मलेथा, टिहरी
9	श्रीमती कविता सिंह	रा0बा0 इ0का0 नरेन्द्रनगर, टिहरी

2. उपरोक्त पदोन्नति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी–

(1) कोविड–19 महामारी के फलस्वरूप लॉकडाउन के दृष्टिगत उपरोक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं को अग्रिम आदेशों तक प्रवक्ता पद वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) पर पदस्थापना की प्रत्याशा में वर्तमान तैनाती वाले विद्यालय/संस्था में ही अनन्तिम (Provisional) रूप से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है, यह अनुमति राज्य में प्रवक्ता संवर्ग में विभिन्न राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित विषय में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर भविष्य में की जाने वाली पदस्थापना के सापेक्ष दी जा रही है।

(2) उक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं की प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में पदस्थापना आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, उक्त पदस्थापना के फलस्वरूप तैनाती वाले विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षिकाओं के संबंध में यह समझा जायेगा कि उन्हें पदोन्नति स्वीकार नहीं है तथा उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(3) पदोन्नति पर पृथक से पदस्थापना आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रवक्ता पद पर पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षिकाओं को ही नवीन पदस्थापना वाले विद्यालय, जिसमें संबंधित विषय में प्रवक्ता वेतनमान का पद रिक्त हो, से पदस्थापना

आदेश से पूर्व वाले विद्यालय में अनन्तिम रूप से पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता पद का वेतनमान देय होगा। यह प्रतिबन्ध ऐसे शिक्षिकाओं, जो किसी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में संबंधित विषय में प्रवक्ता के रिक्त पद के प्रति तदर्थ रूप से कार्यरत हों, पर लागू नहीं होगा।

20/5/2020

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0 सं0 सेवा–2/अराज0/ 1675-88 /2020–2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
(3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
(4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
(5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
(7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
(8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड ।
(9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
(10) सम्बन्धित प्रधानाचार्या को इस आशय से कि यदि संबंधित शिक्षिका के कार्यरत विद्यालय में स्थानान्तरण एवं अन्य कारणों से कोई परिवर्तन हुआ हो, तो संबंधित शिक्षिका का वर्तमान कार्यरत विद्यालय वही समझा जाय, जहां पर वह वास्तविक रूप से कार्यरत है, तद्नुसार उन्हें कार्यभार ग्रहण कराते हुए विद्यालय परिवर्तन की सूचना से निदेशालय को भी अवगत करायें।
(11) संबंधित शिक्षिका।
(12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

(हरेराम यादव) 20/5/2020
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

कार्यालयः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं0–सेवा–2/अराज./ 80 /2020–2021 दिनांक 20 मई, 2020

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के पत्र सं0 230/74/02/डी0पी0सी0(मा0शि0)/सेवा–1/2018–19 के द्वारा प्राप्त चयन संस्तुति के उपरान्त शासन के पत्र संख्या 331/XXIV-B-1/2020–17(01)/2015 दिनांक 13 मई, 2020 के द्वारा दिये गये निर्देश के कम में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के निम्नांकित सहायक अध्यापिका एल0टी0 वेतनकम को प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में **प्रवक्ता भौतिक विज्ञान (महिला शाखा)** के पद पर मौलिक पदोन्नति प्रदान की जाती है।

क0सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	विद्यालय/संस्था का नाम
01	02	03
1	श्रीमती चंचल बब्बर	रा0क0इ0का0 सहसपुर, देहरादून
2	डॉ0 पूनम पलडिया	रा.क0इ0का0 पन्तनगर उ0सि0न0
3	श्रीमती पुष्पा असवाल	रा0क0इ0का0. रानीपोखरी, देहरादून
4	श्रीमती सुषमा रानी	रा0क0इ0का0 देवप्रयाग, टिहरी
5	श्रीमती उषा पन्त	रा0इ0का0 पौंधा देहरादून
6	श्रीमती बबीता	रा0क0उ0मा0वि0 पैडूल, पौड़ी
7	श्रीमती माहेश्वरी पनेरू	रा0क0उ0मा0वि0 कुँवाली, अल्मोड़ा
8	श्रीमती लता पाठक	रा0क0इ0का0 पिथौरागढ़
9	कु0 अर्चना	रा0क0इ0का0 बाजपुर, उद्यमसिंह नगर
10	श्रीमती नबिता गौतम	रा0क0उ0मा0वि0 बमणगांव टिहरी
11	श्रीमती पूजा शर्मा	रा0क0उ0मा0वि0 बजीराबादी खड़खड़ी हरिद्वार

2. उपरोक्त पदोन्नति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी–

(1) कोविड–19 महामारी के फलस्वरूप लॉकडाउन के दृष्टिगत उपरोक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं को अग्रिम आदेशों तक प्रवक्ता पद वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) पर पदस्थापना की प्रत्याशा में वर्तमान तैनाती वाले विद्यालय/संस्था में ही अनन्तिम (Provisional) रूप से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है, यह अनुमति राज्य में प्रवक्ता संवर्ग में विभिन्न राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित विषय में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर भविष्य में की जाने वाली पदस्थापना के सापेक्ष दी जा रही है।

(2) उक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं की प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में पदस्थापना आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, उक्त पदस्थापना के फलस्वरूप तैनाती वाले विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षिकाओं के संबंध में यह समझा जायेगा कि उन्हें पदोन्नति स्वीकार नहीं है तथा उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(3) पदोन्नति पर पृथक से पदस्थापना आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रवक्ता पद पर पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षिकाओं को ही नवीन पदस्थापना

वाले विद्यालय, जिसमें संबंधित विषय में प्रवक्ता वेतनमान का पद रिक्त हो, से पदस्थापना आदेश से पूर्व वाले विद्यालय में अनन्तिम रूप से पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता पद का वेतनमान देय होगा। यह प्रतिबन्ध ऐसे शिक्षिकाओं, जो किसी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में संबंधित विषय में प्रवक्ता के रिक्त पद के प्रति तदर्थ रूप से कार्यरत हों, पर लागू नहीं होगा।

20/5/2020

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0 सं0 सेवा–2/अराज0/ 1689-701 /2020–2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
(3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
(4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
(5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
(7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
(8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड ।
(9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
(10) सम्बन्धित प्रधानाचार्य।
(11) संबंधित शिक्षिका।
(12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

20/5/2020

(हरेराम यादव)
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

कार्यालयः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं0–सेवा–2/अराज./ 81 /2020–2021 दिनांक 20 मई, 2020

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के पत्र सं0 230/74/02/डी0पी0सी0(मा0शि0)/सेवा–1/2018–19 के द्वारा प्राप्त चयन संस्तुति के उपरान्त शासन के पत्र संख्या 331/XXIV-B-1/2020–17(01)/2015 दिनांक 13 मई, 2020 के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के निम्नांकित सहायक अध्यापिका एल0टी0 वेतनक्रम को प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में **प्रवक्ता रसायन विज्ञान (महिला शाखा)** के पद पर मौलिक पदोन्नति प्रदान की जाती है।

क0सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	विद्यालय/संस्था का नाम
01	02	03
1	श्रीमती रजनी रावत	रा0क0इ0का0 घमण्डपुर पौड़ी
2	श्रीमती भारती भट्ट	रा0बा0इ0का0 बनभूलपुरा नैनीताल
3	चन्द्रा पाण्डे	रा0बा0इ0का0चमदेवल चम्पावत

2. उपरोक्त पदोन्नति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी–

(1) कोविड–19 महामारी के फलस्वरूप लॉकडाउन के दृष्टिगत उपरोक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं को अग्रिम आदेशों तक प्रवक्ता पद वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) पर पदस्थापना की प्रत्याशा में वर्तमान तैनाती वाले विद्यालय/संस्था में ही अनन्तिम (Provisional) रूप से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है, यह अनुमति राज्य में प्रवक्ता संवर्ग में विभिन्न राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित विषय में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर भविष्य में की जाने वाली पदस्थापना के सापेक्ष दी जा रही है।

(2) उक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं की प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में पदस्थापना आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, उक्त पदस्थापना के फलस्वरूप तैनाती वाले विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षिकाओं के संबंध में यह समझा जायेगा कि उन्हें पदोन्नति स्वीकार नहीं है तथा उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(3) पदोन्नति पर पृथक से पदस्थापना आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रवक्ता पद पर पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षिकाओं को ही नवीन पदस्थापना वाले विद्यालय, जिसमें संबंधित विषय में प्रवक्ता वेतनमान का पद रिक्त हो, से पदस्थापना आदेश से पूर्व वाले विद्यालय में अनन्तिम रूप से पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता पद का वेतनमान देय होगा। यह प्रतिबन्ध ऐसे शिक्षिकाओं, जो किसी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में संबंधित विषय में प्रवक्ता के रिक्त पद के प्रति तदर्थ रूप से कार्यरत हों, पर लागू नहीं होगा।

20/5/2020

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0 सं0 सेवा–2/अराज0/ 1702-15 /2020–2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
(3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
(4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
(5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
(7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
(8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड ।
(9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
(10) सम्बन्धित प्रधानाचार्या।
(11) संबंधित शिक्षिका।
(12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

(हरेराम यादव) 20/5/2020
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

कार्यालयः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं0–सेवा–2/अराज./ 82 /2020–2021 दिनांक 20 मई, 2020

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के पत्र सं0 230/74/02/डी0पी0सी0(मा0शि0)/सेवा–1/2018–19 के द्वारा प्राप्त चयन संस्तुति के उपरान्त शासन के पत्र संख्या 331/XXIV-B-1/2020–17(01)/2015 दिनांक 13 मई, 2020 के द्वारा दिये गये निर्देश के कम में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के निम्नांकित सहायक अध्यापिका एल0टी0 वेतनकम को प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में **प्रवक्ता गणित (महिला शाखा)** के पद पर मौलिक पदोन्नति प्रदान की जाती है।

क0सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	विद्यालय/संस्था का नाम
01	02	03
1	श्रीमती मीना पन्त	रा0क0इ0का0 बेतालघाट, नैनीताल
2	श्रीमती रमा रानी	रा0क0इ0का0 झबरेडा, हरिद्वार
3	प्रमिला बिष्ट	रा0क0इ0का0 घमण्डपुर, पौडी
4	श्रीमती आरती जखमोला	रा0उ0मा0वि0 बनियावाला देहरादून
5	श्रीमती सीमा मल्होत्रा	रा0क0इ0का0 नरेन्द्रनगर, टिहरी
6	श्रीमती दीप माला विष्ट	रा0क0उ0मा0वि0 थान टिहरी
7	श्रीमती संगीता नेगी	रा0बा0इ0का0 फाजलपुर महरौली उ0सि0नगर
8	पूनम भट्ट	रा0इ0का0 प्रतापपुर, उ.सि.नगर
9	आशा पुरोहित	रा.क.उ.का.वि.द भौरा मुस्तकम उ0सिं0नगर
दिव्यांग श्रेणी		
1	सुमन लता गौसाई	रा0क0इ0का0 कोटद्वार पौड़ी

2. उपरोक्त पदोन्नति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी–

(1) कोविड–19 महामारी के फलस्वरूप लॉकडाउन के दृष्टिगत उपरोक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं को अग्रिम आदेशों तक प्रवक्ता पद वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) पर पदस्थापना की प्रत्याशा में वर्तमान तैनाती वाले विद्यालय/संस्था में ही अनन्तिम (Provisional) रूप से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है, यह अनुमति राज्य में प्रवक्ता संवर्ग में विभिन्न राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित विषय में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर भविष्य में की जाने वाली पदस्थापना के सापेक्ष दी जा रही है।

(2) उक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं की प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में पदस्थापना आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, उक्त पदस्थापना के फलस्वरूप तैनाती वाले विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षिकाओं के संबंध में यह समझा जायेगा कि उन्हें पदोन्नति स्वीकार नहीं है तथा उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(3) पदोन्नति पर पृथक से पदस्थापना आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रवक्ता पद पर पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षिकाओं को ही नवीन पदस्थापना वाले विद्यालय, जिसमें संबंधित विषय में प्रवक्ता वेतनमान का पद रिक्त हो, से पदस्थापना

आदेश से पूर्व वाले विद्यालय में अनन्तिम रूप से पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता पद का वेतनमान देय होगा। यह प्रतिबन्ध ऐसे शिक्षिकाओं, जो किसी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में संबंधित विषय में प्रवक्ता के रिक्त पद के प्रति तदर्थ रूप से कार्यरत हों, पर लागू नहीं होगा।

20/5/2020

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ0 सं0 सेवा–2/अराज0/ 1706-29 /2020–2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
(3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
(4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
(5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
(7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
(8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड ।
(9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
(10) सम्बन्धित प्रधानाचार्या को इस आशय से कि यदि संबंधित शिक्षिका के कार्यरत विद्यालय में स्थानान्तरण एवं अन्य कारणों से कोई परिवर्तन हुआ हो, तो संबंधित शिक्षिका का वर्तमान कार्यरत विद्यालय वही समझा जाय, जहां पर वह वास्तविक रूप से कार्यरत है, तद्नुसार उन्हें कार्यभार ग्रहण कराते हुए विद्यालय परिवर्तन की सूचना से निदेशालय को भी अवगत करायें।
(11) संबंधित शिक्षिका।
(12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

20/5/2020

(हरेराम यादव)
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

कार्यालयः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं0–सेवा–2/अराज./ 83 /2020–2021 दिनांक 20 मई, 2020

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के पत्र सं0 230/74/02/डी0पी0सी0(मा0शि0)/सेवा–1/2018–19 के द्वारा प्राप्त चयन संस्तुति के उपरान्त शासन के पत्र संख्या 331/XXIV-B-1/2020–17(01)/2015 दिनांक 13 मई, 2020 के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के निम्नांकित सहायक अध्यापिका एल0टी0 वेतनक्रम को प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में **प्रवक्ता जीव विज्ञान (महिला शाखा)** के पद पर मौलिक पदोन्नति प्रदान की जाती है।

क0सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	विद्यालय/संस्था का नाम
01	02	03
1	श्रीमती प्रतिमा जैन	रा0क0इ0का0 कोटद्वार पौड़ी
2	श्रीमती अर्चना वर्मा	रा0क0इ0का0भीमताल, नैनीताल
3	श्रीमती मेहरे तबस्सुम	रा0क0इ0का0 अल्मोड़ा
4	श्रीमती लता रेखा रानी जोशी	रा0क0इ0का0 अजबपुरकलां देहरादून
5	सरिता पाल	रा0क0उ0मा0वि0 हरिदासपुर उ0सि0न0
6	श्रीमती कान्ता प्रकाश	रा0बा0इ0का0 रायपुर, देहरादून
7	श्रीमती लता झिंक्वाण	रा0क0उ0मा0वि0 नैग्वाड़ चमोली
8	सरोज बिजलवान	रा0इ0का0 बन्जारावाला देहरादून
9	अर्चना जोशी	रा0क0इ0का0 ब्रहमपुरी देहरादून
10	श्रीमती एकता वर्मा	रा0बा0इ0का0 घमण्डपुर पौड़ी
11	करिश्मा बर्ग	रा0बा0इ0का0 रानीखेत अल्मोड़ा
12	प्रतिमा वर्मा	रा0क0इ0का0 बग्वालीपोखर अल्मोड़ा
13	श्रीमती नीतू उपाध्याय	रा0क0इ0का0 घौलाखेडा, नैनीताल
14	श्रीमती छाया पाण्डेय	रा0क0उ0मा0वि0पारकोट, अल्मोड़ा
15	गीता तड़ागी	रा0क0इ0का0 भिकियासैंण अल्मोडा
16	श्रीमती विनीता कुमार	रा0क0इ0का0 डीडीहाट पिथौरागढ
17	श्रीमती पूनम रानी नेगी	रा0बा0इ0का0 पोखरी चमोली
18	श्रीमती कविता रानी	रा0बा0इ0का0 सोमेश्वर अल्मोड़ा

2. उपरोक्त पदोन्नति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी–

(1) कोविड–19 महामारी के फलस्वरूप लॉकडाउन के दृष्टिगत उपरोक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं को अग्रिम आदेशों तक प्रवक्ता पद वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) पर पदस्थापना की प्रत्याशा में वर्तमान तैनाती वाले विद्यालय/संस्था में ही अनन्तिम (Provisional) रूप से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है, यह अनुमति राज्य में प्रवक्ता संवर्ग में विभिन्न राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित विषय में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर भविष्य में की जाने वाली पदस्थापना के सापेक्ष दी जा रही है।

(2) उक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं की प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में पदस्थापना आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, उक्त पदस्थापना के फलस्वरूप तैनाती वाले विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षिकाओं के संबंध में यह समझा जायेगा कि उन्हें पदोन्नति स्वीकार नहीं है तथा उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(3) पदोन्नति पर पृथक से पदस्थापना आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रवक्ता पद पर पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षिकाओं को ही नवीन पदस्थापना वाले विद्यालय, जिसमें संबंधित विषय में प्रवक्ता वेतनमान का पद रिक्त हो, से पदस्थापना आदेश से पूर्व वाले विद्यालय में अनन्तिम रूप से पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता पद का वेतनमान देय होगा। यह प्रतिबन्ध ऐसे शिक्षिकाओं, जो किसी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में संबंधित विषय में प्रवक्ता के रिक्त पद के प्रति तदर्थ रूप से कार्यरत हों, पर लागू नहीं होगा।

20/5/2020

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0 सं0 सेवा–2/अराज0/ 1730-43 /2020–2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
(3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
(4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
(5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
(7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
(8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड ।
(9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
(10) सम्बन्धित प्रधानाचार्या, को इस आशय से कि यदि संबंधित शिक्षिका के कार्यरत विद्यालय में स्थानान्तरण एवं अन्य कारणों से कोई परिवर्तन हुआ हो, तो संबंधित शिक्षिका का वर्तमान कार्यरत विद्यालय वही समझा जाय, जहां पर वह वास्तविक रूप से कार्यरत है, तद्नुसार उन्हें कार्यभार ग्रहण कराते हुए विद्यालय परिवर्तन की सूचना से निदेशालय को भी अवगत करायें।
(11) संबंधित शिक्षिका।
(12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

20/5/2020

(हरेराम यादव)
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

कार्यालयः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं0–सेवा–2/अराज./ 84 /2020–2021 दिनांक 20 मई, 2020

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के पत्र सं0 230/74/02/डी0पी0सी0(मा0शि0)/सेवा–1/2018–19 के द्वारा प्राप्त चयन संस्तुति के उपरान्त शासन के पत्र संख्या 331/XXIV-B-1/2020–17(01)/2015 दिनांक 13 मई, 2020 के द्वारा दिये गये निर्देश के कम में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के निम्नांकित सहायक अध्यापिका एल0टी0 वेतनकम को प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में **प्रवक्ता नागरिक शास्त्र (महिला शाखा)** के पद पर मौलिक पदोन्नति प्रदान की जाती है।

क0सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	विद्यालय/संस्था का नाम
01	02	03
1	श्रीमती अनीता रावत	घ0रा0इ0का0 मसूरी, देहरादून
2	श्रीमती पुष्पा रानी	रा0क0इ0का0 सुल्तानपुर, उ0सिं0न0
3	श्रीमती पुष्पा धर्मसत्तू	रा0क0इ0का0 दौलिया हल्दू, नैनीताल
4	कु0 सयैदा सिद्की	रा0क0उ0मा0वि0 माजरा देहरादून
5	श्रीमती सुमन थपलियाल	रा0क0उ0मा0वि0 माजरा देहरादून
6	श्रीमती नजमा परवीन	रा0क0इ0का0 बनभूलपुरा नैनीताल
7	कु0 नसरीन अख्तर	रा0क0इ0का0 बनभूलपुरा नैनीताल
8	श्रीमती कुसुम लता	रा0क0इ0का0 गदरपुर उ0सिं0न0
9	मीनाक्षी काण्डपाल	रा0क0इ0का0 नैनीताल, नैनीताल
10	कु0 लीला लिंगवाल	रा0क0इ0का0 देवप्रयाग टिहरी
11	श्रीमती अर्चना ध्यानी	रा0क0उ0मा0वि0 हर्रावाला देहरादून
12	श्रीमती सुशीला लिंगवाल	रा0क0इ0का0 श्रीनगर, पौडी
13	श्रीमती अनुपम	रा.क.उ.मा.वि.फूलचौड, नैनीताल
14	सायरा अली	सा.पा.रा0क0इ0का0 भीमताल नैनीताल
15	कु0 मीना	रा0क0उ0मा0वि0 कासमपुर उ0सिं0नगर
16	कु0 छाया चौहान	रा.क.उ.मा.वि. सुनारगॉव देहरादून
17	श्रीमती कुसुमलता कठैत	रा0बा0इ0का0 थत्यूड़ टिहरी
18	श्रीमती विनीता मेहता	रा0क0इ0का0 सोमेश्वर अल्मोड़ा
19	मंजु तिवारी	रा0क0उ0मा0वि वनभूलपुरा, नैनीताल
दिव्यांग श्रेणी		
1	कविता कहेडा	रा0क0इ0का0 लक्खीबाग देहरादून

2. उपरोक्त पदोन्नति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी–

(1) कोविड–19 महामारी के फलस्वरूप लॉकडाउन के दृष्टिगत उपरोक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं को अग्रिम आदेशों तक प्रवक्ता पद वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) पर पदस्थापना की प्रत्याशा में वर्तमान तैनाती वाले विद्यालय/संस्था में ही अनन्तिम (Provisional) रूप से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है, यह अनुमति

राज्य में प्रवक्ता संवर्ग में विभिन्न राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित विषय में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर भविष्य में की जाने वाली पदस्थापना के सापेक्ष दी जा रही है।

(2) उक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं की प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में पदस्थापना आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, उक्त पदस्थापना के फलस्वरूप तैनाती वाले विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षिकाओं के संबंध में यह समझा जायेगा कि उन्हें पदोन्नति स्वीकार नहीं है तथा उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(3) पदोन्नति पर पृथक से पदस्थापना आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रवक्ता पद पर पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षिकाओं को ही नवीन पदस्थापना वाले विद्यालय, जिसमें संबंधित विषय में प्रवक्ता वेतनमान का पद रिक्त हो, से पदस्थापना आदेश से पूर्व वाले विद्यालय में अनन्तिम रूप से पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता पद का वेतनमान देय होगा। यह प्रतिबन्ध ऐसे शिक्षिकाओं, जो किसी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में संबंधित विषय में प्रवक्ता के रिक्त पद के प्रति तदर्थ रूप से कार्यरत हों, पर लागू नहीं होगा।

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0 सं0 सेवा–2/अराज0/ 1744-57 /2020–2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
(3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
(4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
(5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
(7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
(8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड ।
(9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
(10) सम्बन्धित प्रधानाचार्या, को इस आशय से कि यदि संबंधित शिक्षिका के कार्यरत विद्यालय में स्थानान्तरण एवं अन्य कारणों से कोई परिवर्तन हुआ हो, तो संबंधित शिक्षिका का वर्तमान कार्यरत विद्यालय वही समझा जाय, जहां पर वह वास्तविक रूप से कार्यरत है, तद्नुसार उन्हें कार्यभार ग्रहण कराते हुए विद्यालय परिवर्तन की सूचना से निदेशालय को भी अवगत करायें।
(11) संबंधित शिक्षिका।
(12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

(हरेराम यादव)
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

कार्यालयः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं0–सेवा–2/अराज./ 85 /2020–2021 दिनांक 20 मई, 2020

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के पत्र सं0 230/74/02/डी0पी0सी0(मा0शि0)/सेवा–1/2018–19 के द्वारा प्राप्त चयन संस्तुति के उपरान्त शासन के पत्र संख्या 331/XXIV-B-1/2020–17(01)/2015 दिनांक 13 मई, 2020 के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के निम्नांकित सहायक अध्यापिका एल0टी0 वेतनक्रम को प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में **प्रवक्ता अर्थशास्त्र (महिला शाखा)** के पद पर मौलिक पदोन्नति प्रदान की जाती है।

क0सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	विद्यालय/संस्था का नाम
01	02	03
1	श्रीमती उमा नौटियाल	रा0क0उ0मा0वि0हर्रावाला, देहरादून
2	श्रीमती आशा पन्त	रा0क0इ0का0 राजपुर, देहरादून
3	श्रीमती रेनू त्रिपाठी	रा0क0इ0का0भीमताल, नैनीताल
4	श्रीमती कल्पना पाठक	रा0क0उ0मा0वि0चनौदा, अल्मोड़ा
5	श्रीमती किरण पुनेरा	रा0क0इ0का0 खुर्पाताल, नैनीताल
6	श्रीमती उषा रौतेला	रा0क0उ0मा0 नगला, उ0सि0न0
7	श्रीमती बबली लिंगवाल	रा0क0इ0का0 गोपेश्वर, चमोली
8	श्रीमती मीना आहूजा	रा0क0इ0का0 ज्वालापुर, हरिद्वार
9	श्रीमती बीना मेहरा	रा0क0इ0का0 दौलिया हल्द्वानी नैनीताल
दिव्यांग श्रेणी		
1	श्रीमती नीरू शर्मा	रा0क0इ0का0 कारगी देहरादून

2. उपरोक्त पदोन्नति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी–

(1) कोविड–19 महामारी के फलस्वरूप लॉकडाउन के दृष्टिगत उपरोक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं को अग्रिम आदेशों तक प्रवक्ता पद वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) पर पदस्थापना की प्रत्याशा में वर्तमान तैनाती वाले विद्यालय/संस्था में ही अनन्तिम (Provisional) रूप से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है, यह अनुमति राज्य में प्रवक्ता संवर्ग में विभिन्न राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित विषय में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर भविष्य में की जाने वाली पदस्थापना के सापेक्ष दी जा रही है।

(2) उक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं की प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में पदस्थापना आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, उक्त पदस्थापना के फलस्वरूप तैनाती वाले विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षिकाओं के संबंध में यह समझा जायेगा कि उन्हें पदोन्नति स्वीकार नहीं है तथा उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(3) पदोन्नति पर पृथक से पदस्थापना आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रवक्ता पद पर पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षिकाओं को ही नवीन पदस्थापना वाले विद्यालय, जिसमें संबंधित विषय में प्रवक्ता वेतनमान का पद रिक्त हो, से पदस्थापना

आदेश से पूर्व वाले विद्यालय में अनन्तिम रूप से पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता पद का वेतनमान देय होगा। यह प्रतिबन्ध ऐसे शिक्षिकाओं, जो किसी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में संबंधित विषय में प्रवक्ता के रिक्त पद के प्रति तदर्थ रूप से कार्यरत हों, पर लागू नहीं होगा।

20/5/2020

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0 सं0 सेवा–2/अराज0/ 1758-71 /2020–2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
(3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
(4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
(5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
(7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
(8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड ।
(9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
(10) सम्बन्धित प्रधानाचार्या को इस आशय से कि यदि संबंधित शिक्षिका के कार्यरत विद्यालय में स्थानान्तरण एवं अन्य कारणों से कोई परिवर्तन हुआ हो, तो संबंधित शिक्षिका का वर्तमान कार्यरत विद्यालय वही समझा जाय, जहां पर वह वास्तविक रूप से कार्यरत है, तद्नुसार उन्हें कार्यभार ग्रहण कराते हुए विद्यालय परिवर्तन की सूचना से निदेशालय को भी अवगत करायें।
(11) संबंधित शिक्षिका।
(12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

(हरेराम यादव) 20/5/2020
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

कार्यालयः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं0–सेवा–2/अराज./ 86 /2020–2021 दिनांक 20 मई, 2020

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के पत्र सं0 230/74/02/डी0पी0सी0(मा0शि0)/सेवा–1/2018–19 के द्वारा प्राप्त चयन संस्तुति के उपरान्त शासन के पत्र संख्या 331/XXIV-B-1/2020–17(01)/2015 दिनांक 13 मई, 2020 के द्वारा दिये गये निर्देश के कम में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के निम्नांकित सहायक अध्यापिका एल0टी0 वेतनकम को प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में **प्रवक्ता इतिहास (महिला शाखा)** के पद पर मौलिक पदोन्नति प्रदान की जाती है।

क0सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	विद्यालय/संस्था का नाम
01	02	03
1	श्रीमती कुसुम लता कुकरेती	रा0क0इ0का0 रानीपोखरी देहरादून
2	श्रीमती सुषमा नेगी	रा0क0इ0का0 कोटद्वार पौड़ी
3	श्रीमती गीता नेगी	रा0क0उ0मा0वि चनौदा अल्मोडा
4	श्रीमती प्रेमा फर्त्याल	रा0क0इ0का0 नैनीताल नैनीताल
5	बीना शैल	रा0क0इ0का0 भवाली,नैनीताल
6	इशरत परवीन	रा0क0इ0का0 हरिपुर कालसी देहरादून
7	श्रीमती मंजू भण्डारी	रा0क0इ0का0 रानीपोखरी देहरादून

2. उपरोक्त पदोन्नति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी–

(1) कोविड–19 महामारी के फलस्वरूप लॉकडाउन के दृष्टिगत उपरोक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं को अग्रिम आदेशों तक प्रवक्ता पद वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) पर पदस्थापना की प्रत्याशा में वर्तमान तैनाती वाले विद्यालय/संस्था में ही अनन्तिम (Provisional) रूप से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है, यह अनुमति राज्य में प्रवक्ता संवर्ग में विभिन्न राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित विषय में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर भविष्य में की जाने वाली पदस्थापना के सापेक्ष दी जा रही है।

(2) उक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं की प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में पदस्थापना आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, उक्त पदस्थापना के फलस्वरूप तैनाती वाले विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षिकाओं के संबंध में यह समझा जायेगा कि उन्हें पदोन्नति स्वीकार नहीं है तथा उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(3) पदोन्नति पर पृथक से पदस्थापना आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रवक्ता पद पर पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षिकाओं को ही नवीन पदस्थापना वाले विद्यालय, जिसमें संबंधित विषय में प्रवक्ता वेतनमान का पद रिक्त हो, से पदस्थापना आदेश से पूर्व वाले विद्यालय में अनन्तिम रूप से पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता पद का वेतनमान देय होगा। यह प्रतिबन्ध ऐसे शिक्षिकाओं, जो किसी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में संबंधित विषय में प्रवक्ता के रिक्त पद के प्रति तदर्थ रूप से कार्यरत हों, पर लागू नहीं होगा।

20/5/2020

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0 सं0 सेवा–2/अराज0/ 1772-85 /2020–2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।

(4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।

(5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।

(6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

(7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।

(8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड ।

(9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।

(10) सम्बन्धित प्रधानाचार्या को इस आशय से कि यदि संबंधित शिक्षिका के कार्यरत विद्यालय में स्थानान्तरण एवं अन्य कारणों से कोई परिवर्तन हुआ हो, तो संबंधित शिक्षक का वर्तमान कार्यरत विद्यालय वही समझा जाय, जहां पर वह वास्तविक रूप से कार्यरत है, तद्नुसार उन्हें कार्यभार ग्रहण कराते हुए विद्यालय परिवर्तन की सूचना से निदेशालय को भी अवगत करायें।

(11) संबंधित शिक्षिका।

(12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

20/5/2020

(हरेराम यादव)
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

कार्यालयः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं0–सेवा–2/अराज./ 87 /2020–2021 दिनांक 20 मई, 2020

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के पत्र सं0 230/74/02/डी0पी0सी0(मा0शि0)/सेवा–1/2018–19 के द्वारा प्राप्त चयन संस्तुति के उपरान्त शासन के पत्र संख्या 331/XXIV-B-1/2020–17(01)/2015 दिनांक 13 मई, 2020 के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के निम्नांकित सहायक अध्यापिका एल0टी0 वेतनक्रम को प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में **प्रवक्ता भूगोल (महिला शाखा)** के पद पर मौलिक पदोन्नति प्रदान की जाती है।

क0सं0	शिक्षिका का नाम	विद्यालय/संस्था का नाम
01	02	03
1	श्रीमती उषा कुंवर	रा0इ0का0 माजरीग्रान्ट, देहरादून
2	श्रीमती संगीता विष्ट	रा0क0इ0का0 बनभूलपुरा नैनीताल
3	श्रीमती देवश्री मनराल	रा0क0इ0का0 दौलिया, हल्दूचौड़, नेनीताल
4	श्रीमती सुशीला भण्डारी	रा0क0इ0का0 कौलागढ़, देहरादून
5	श्रीमती मनीषा शर्मा	रा0क0उ0मा0वि0सोत रूडकी, हरिद्वार
6	श्रीमती ज्योति राजेन्द्र कुलाश्री	रा0क0इ0का0 रामनगर नैनीताल
7	श्रीमती पूर्णिमा नेगी	रा0क0इ0का0 शिवराजपुर पौडी
8	श्रीमती अल्का वर्मा	रा0इ0का0 सेलाकुई, देहरादून
9	श्रीमती कौशल्या मधवाल	रा0क0इ0का0 कोटद्वार, पौड़ी
10	श्रीमती दीपा चौधरी	रा0क0उ0मा0वि0सेडियाल पौडी गढवाल

2. उपरोक्त पदोन्नति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी–

(1) कोविड–19 महामारी के फलस्वरूप लॉकडाउन के दृष्टिगत उपरोक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं को अग्रिम आदेशों तक प्रवक्ता पद वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) पर पदस्थापना की प्रत्याशा में वर्तमान तैनाती वाले विद्यालय/संस्था में ही अनन्तिम (Provisional) रूप से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है, यह अनुमति राज्य में प्रवक्ता संवर्ग में विभिन्न राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित विषय में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर भविष्य में की जाने वाली पदस्थापना के सापेक्ष दी जा रही है।

(2) उक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं की प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में पदस्थापना आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, उक्त पदस्थापना के फलस्वरूप तैनाती वाले विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षिकाओं के संबंध में यह समझा जायेगा कि उन्हें पदोन्नति स्वीकार नहीं है तथा उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(3) पदोन्नति पर पृथक से पदस्थापना आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रवक्ता पद पर पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षिकाओं को ही नवीन पदस्थापना

वाले विद्यालय, जिसमें संबंधित विषय में प्रवक्ता वेतनमान का पद रिक्त हो, से पदस्थापना आदेश से पूर्व वाले विद्यालय में अनन्तिम रूप से पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता पद का वेतनमान देय होगा। यह प्रतिबन्ध ऐसे शिक्षिकाओं, जो किसी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में संबंधित विषय में प्रवक्ता के रिक्त पद के प्रति तदर्थ रूप से कार्यरत हों, पर लागू नहीं होगा।

20/5/2020

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0 सं0 सेवा–2/अराज0/ 1786-90 /2020–2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
(3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
(4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
(5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
(7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
(8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड ।
(9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
(10) सम्बन्धित प्रधानाचार्य।
(11) संबंधित शिक्षिका।
(12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

20/5/2020

(हरेराम यादव)
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

कार्यालयः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं0–सेवा–2/अराज./ 88 /2020–2021 दिनांक 20 मई, 2020

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के पत्र सं0 230/74/02/डी0पी0सी0(मा0शि0)/सेवा–1/2018–19 के द्वारा प्राप्त चयन संस्तुति के उपरान्त शासन के पत्र संख्या 331/XXIV-B-1/2020–17(01)/2015 दिनांक 13 मई, 2020 के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के निम्नांकित सहायक अध्यापिका एल0टी0 वेतनक्रम को प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में **प्रवक्ता समाजशास्त्र (महिला शाखा)** के पद पर मौलिक पदोन्नति प्रदान की जाती है।

क0सं0	शिक्षिका का नाम	विद्यालय/संस्था का नाम
01	02	03
1	श्रीमती सरोज जोशी	रा0क0इ0का0 पिथौरागढ़

2. उपरोक्त पदोन्नति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी–

(1) कोविड–19 महामारी के फलस्वरूप लॉकडाउन के दृष्टिगत उपरोक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं को अग्रिम आदेशों तक प्रवक्ता पद वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) पर पदस्थापना की प्रत्याशा में वर्तमान तैनाती वाले विद्यालय/संस्था में ही अनन्तिम (Provisional) रूप से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है, यह अनुमति राज्य में प्रवक्ता संवर्ग में विभिन्न राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित विषय में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर भविष्य में की जाने वाली पदस्थापना के सापेक्ष दी जा रही है।

(2) उक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं की प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में पदस्थापना आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, उक्त पदस्थापना के फलस्वरूप तैनाती वाले विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षिकाओं के संबंध में यह समझा जायेगा कि उन्हें पदोन्नति स्वीकार नहीं है तथा उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(3) पदोन्नति पर पृथक से पदस्थापना आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रवक्ता पद पर पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षिकाओं को ही नवीन पदस्थापना वाले विद्यालय, जिसमें संबंधित विषय में प्रवक्ता वेतनमान का पद रिक्त हो, से पदस्थापना आदेश से पूर्व वाले विद्यालय में अनन्तिम रूप से पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता पद का वेतनमान देय होगा। यह प्रतिबन्ध ऐसे शिक्षिकाओं, जो किसी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में संबंधित विषय में प्रवक्ता के रिक्त पद के प्रति तदर्थ रूप से कार्यरत हों, पर लागू नहीं होगा।

20/5/2020

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0 सं0 सेवा—2/अराज0/ 1799-811 /2020—2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
(3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
(4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
(5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
(7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
(8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड ।
(9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
(10) सम्बन्धित प्रधानाचार्य।
(11) संबंधित शिक्षिका।
(12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

(हरेराम यादव) 20/5/2020
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

कार्यालयः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं0–सेवा–2/अराज./ 89 /2020–2021 दिनांक 20 मई, 2020

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के पत्र सं0 230/74/02/डी0पी0सी0(मा0शि0)/सेवा–1/2018–19 के द्वारा प्राप्त चयन संस्तुति के उपरान्त शासन के पत्र संख्या 331/XXIV-B-1/2020–17(01)/2015 दिनांक 13 मई, 2020 के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के निम्नांकित सहायक अध्यापिका एल0टी0 वेतनक्रम को प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में **प्रवक्ता कला (महिला शाखा)** के पद पर मौलिक पदोन्नति प्रदान की जाती है।

क0सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	विद्यालय/संस्था का नाम
01	02	03
1	श्रीमती मंजू नौटियाल	रा0बा0इ0का0 सहिया, देहरादून

2. उपरोक्त पदोन्नति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी–

(1) कोविड–19 महामारी के फलस्वरूप लॉकडाउन के दृष्टिगत उपरोक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं को अग्रिम आदेशों तक प्रवक्ता पद वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) पर पदस्थापना की प्रत्याशा में वर्तमान तैनाती वाले विद्यालय/संस्था में ही अनन्तिम (Provisional) रूप से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है, यह अनुमति राज्य में प्रवक्ता संवर्ग में विभिन्न राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित विषय में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर भविष्य में की जाने वाली पदस्थापना के सापेक्ष दी जा रही है।

(2) उक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं की प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में पदस्थापना आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, उक्त पदस्थापना के फलस्वरूप तैनाती वाले विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षिकाओं के संबंध में यह समझा जायेगा कि उन्हें पदोन्नति स्वीकार नहीं है तथा उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(3) पदोन्नति पर पृथक से पदस्थापना आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रवक्ता पद पर पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षिकाओं को ही नवीन पदस्थापना वाले विद्यालय, जिसमें संबंधित विषय में प्रवक्ता वेतनमान का पद रिक्त हो, से पदस्थापना आदेश से पूर्व वाले विद्यालय में अनन्तिम रूप से पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता पद का वेतनमान देय होगा। यह प्रतिबन्ध ऐसे शिक्षिकाओं, जो किसी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में संबंधित विषय में प्रवक्ता के रिक्त पद के प्रति तदर्थ रूप से कार्यरत हों, पर लागू नहीं होगा।

20/5/2020

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0 सं0 सेवा–2/अराज0/ 1012-25 /2020–2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
(3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
(4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
(5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
(7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
(8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड ।
(9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
(10) सम्बन्धित प्रधानाचार्या।
(11) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका।
(12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

20/9/2020

(हरेराम यादव)
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

कार्यालयः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं0–सेवा–2/अराज./ 90 /2020–2021 दिनांक 20 मई, 2020

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के पत्र सं0 230/74/02/डी0पी0सी0(मा0शि0)/सेवा–1/2018–19 के द्वारा प्राप्त चयन संस्तुति के उपरान्त शासन के पत्र संख्या 331/XXIV-B-1/2020–17(01)/2015 दिनांक 13 मई, 2020 के द्वारा दिये गये निर्देश के कम में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के निम्नांकित सहायक अध्यापिका एल0टी0 वेतनकम को प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में **प्रवक्ता मनोविज्ञान (महिला शाखा)** के पद पर मौलिक पदोन्नति प्रदान की जाती है।

क0सं0	शिक्षिका का नाम	विद्यालय/संस्था का नाम
01	02	03
1	श्रीमती उमा जोशी	रा0क0इ0का0 नैनीताल
2	आदिती चटर्जी	रा0क0इ0का0 राजपुर रोड देहरादून

2. उपरोक्त पदोन्नति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी–

(1) कोविड–19 महामारी के फलस्वरूप लॉकडाउन के दृष्टिगत उपरोक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं को अग्रिम आदेशों तक प्रवक्ता पद वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) पर पदस्थापना की प्रत्याशा में वर्तमान तैनाती वाले विद्यालय/संस्था में ही अनन्तिम (Provisional) रूप से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है, यह अनुमति राज्य में प्रवक्ता संवर्ग में विभिन्न राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित विषय में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर भविष्य में की जाने वाली पदस्थापना के सापेक्ष दी जा रही है।

(2) उक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं की प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में पदस्थापना आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, उक्त पदस्थापना के फलस्वरूप तैनाती वाले विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षिकाओं के संबंध में यह समझा जायेगा कि उन्हें पदोन्नति स्वीकार नहीं है तथा उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(3) पदोन्नति पर पृथक से पदस्थापना आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रवक्ता पद पर पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षिकाओं को ही नवीन पदस्थापना वाले विद्यालय, जिसमें संबंधित विषय में प्रवक्ता वेतनमान का पद रिक्त हो, से पदस्थापना आदेश से पूर्व वाले विद्यालय में अनन्तिम रूप से पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता पद का वेतनमान देय होगा। यह प्रतिबन्ध ऐसे शिक्षिकाओं, जो किसी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में संबंधित विषय में प्रवक्ता के रिक्त पद के प्रति तदर्थ रूप से कार्यरत हों, पर लागू नहीं होगा।

20/5/2020

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0 सं0 सेवा–2/अराज0/ 1826-39 /2020–2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
(3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
(4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
(5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
(7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
(8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड ।
(9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
(10) सम्बन्धित प्रधानाचार्य।
(11) संबंधित शिक्षिका।
(12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

20/5/2020

(हरेराम यादव)
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

कार्यालयः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं0–सेवा–2/अराज./ 91 /2020–2021 दिनांक 20 मई, 2020

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के पत्र सं0 230/74/02/डी0पी0सी0(मा0शि0)/सेवा–1/2018–19 के द्वारा प्राप्त चयन संस्तुति के उपरान्त शासन के पत्र संख्या 331/XXIV-B-1/2020–17(01)/2015 दिनांक 13 मई, 2020 के द्वारा दिये गये निर्देश के कम में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के निम्नांकित सहायक अध्यापिका एल0टी0 वेतनकम को प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में **प्रवक्ता गृह विज्ञान (महिला शाखा)** के पद पर मौलिक पदोन्नति प्रदान की जाती है।

क0सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	विद्यालय/संस्था का नाम
01	02	03
1	शमा बानों	रा.क0इ0का0 नरेन्द्र नगर, टिहरी
2	श्रीमती सीमा कुकरेजा	रा0क0उ0मा0वि0कनखल, हरिद्वार
3	सुमन डोभाल	रा0क0इ0का0 लम्बगांव टिहरी
4	पूजा रानी	रा0क0इ0का0बाजपुर उधमसिंह नगर
5	मनीषा भटनागर	रा0क0उ0मा0वि0 मानक चौक मंगलौर हरिद्वार
6	श्रीमती मंजीत कौर	रा0क0इ0का0 बनबसा चम्पावत
7	श्रीमती मीना बिष्ट	रा0बा0इ0का0 झबरेड़ा हरिद्वार
8	श्रीमती दमयन्ती मेहरा	रा0क0इ0का0 कालाढुंगी नैनीताल
9	श्रीमती सुनीता नौडियाल	रा0क0इ0का0 रूद्रप्रयाग
10	श्रीमती दीपमाला चौधरी	रा0बा0इ0का0 भटेलिया

2. उपरोक्त पदोन्नति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी–

(1) कोविड–19 महामारी के फलस्वरूप लॉकडाउन के दृष्टिगत उपरोक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं को अग्रिम आदेशों तक प्रवक्ता पद वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) पर पदस्थापना की प्रत्याशा में वर्तमान तैनाती वाले विद्यालय/संस्था में ही अनन्तिम (Provisional) रूप से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है, यह अनुमति राज्य में प्रवक्ता संवर्ग में विभिन्न राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित विषय में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर भविष्य में की जाने वाली पदस्थापना के सापेक्ष दी जा रही है।

(2) उक्त पदोन्नत शिक्षिकाओं की प्रवक्ता वेतनमान (रू0 47600–151100 लेवल–8) में पदस्थापना आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, उक्त पदस्थापना के फलस्वरूप तैनाती वाले विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षिकाओं के संबंध में यह समझा जायेगा कि उन्हें पदोन्नति स्वीकार नहीं है तथा उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(3) पदोन्नति पर पृथक से पदस्थापना आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रवक्ता पद पर पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षिकाओं को ही नवीन पदस्थापना वाले विद्यालय, जिसमें संबंधित विषय में प्रवक्ता वेतनमान का पद रिक्त हो, से पदस्थापना आदेश से पूर्व वाले विद्यालय में अनन्तिम रूप से पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता पद का वेतनमान देय होगा। यह प्रतिबन्ध ऐसे शिक्षिकाओं, जो किसी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में संबंधित विषय में प्रवक्ता के रिक्त पद के प्रति तदर्थ रूप से कार्यरत हों, पर लागू नहीं होगा।

20/5/2020

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0 सं0 सेवा–2/अराज0/ 1840-53 /2020–2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
(3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
(4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
(5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
(7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
(8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड ।
(9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
(10) सम्बन्धित प्रधानाचार्या को इस आशय से कि यदि संबंधित शिक्षिका के कार्यरत विद्यालय में स्थानान्तरण एवं अन्य कारणों से कोई परिवर्तन हुआ हो, तो संबंधित शिक्षिका का वर्तमान कार्यरत विद्यालय वही समझा जाय, जहां पर वह वास्तविक रूप से कार्यरत है, तद्नुसार उन्हें कार्यभार ग्रहण कराते हुए विद्यालय परिवर्तन की सूचना से निदेशालय को भी अवगत करायें।
(11) संबंधित शिक्षिका।
(12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

20/5/2020

(हरेराम यादव)
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड